बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 03/11/2017

अधिसूचना

संख्या-नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-06/2017 1082 समादेश याचिका संख्या 12921/2017 विजेन्द्रधारी शर्मा -बनाम- राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.10.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायादेश पारित किया गया है कि It is held that the 67 persons, who have been added as voters in the voter list of the year 2017 for Bikram Vyapar Mandal Election cannot be made voters as the procedure required in law has not been followed. As a consequence there of, the elections are to be held on the basis of the list which was forwarded by the petitioner to the responsendt no 4, copy of which is at Annexure-3 to the writ petition. The procedure of filling of nomination paper onwards shall be completed expeditiously by the State Election Authority, in accordance with law, on the basis of the aforesaid voter list.

2. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विक्रम व्यापार मंडल के मतदाता सूची में जोड़े गये 67 व्यक्तियों के नाम को विलोपित किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), विक्रम को समर्पित मतदाता सूची, जो उक्त याचिका का अनुलग्नक-3 है, को विक्रम व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 के प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव हेतु मान्यता देते हुए चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार नियत किया जाता है:-

(ii)	अतिरिक्त नामांकन की तिथि एवं समय	07.11.2017 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	08.11.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय	09.11.2017 (गरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	17.11.2017 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	17.11.2017 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

3. पूर्व कार्यक्रम के अनुसार जिन व्यक्तियों द्वारा नामांकन दायर किया गया है और उनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में भी है, तो वैसे व्यक्तियों को अलग से नामांकन दायर करने की आवश्यकता नहीं है । उनके द्वारा दायर नामांकन को मान्य किया जायेगा, यदि वे अन्यथा अयोग्य नहीं हो। जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया गया है और यदि उनके द्वारा पूर्व कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दायर किया गया है, तो उसे रद्द समझा जायेगा।

4. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-5** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के

हस्तपुस्तिका **प्रपत्र-ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1082 पटना/ दिनांक 03/11/2017

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1082 पटना/ दिनांक 03/11/2017

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी, पटना/ पुलिस अधीक्षक, पटना/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), विक्रम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1082 पटना/ दिनांक 03/11/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1082 पटना/ दिनांक 03/11/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1082 पटना/ दिनांक 03/11/2017

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.11.17

मुख्य चुनाव पदाधिकारी